न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 147 / 2019 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. रूधाराम पुत्र चौथुराम जाति बलाई निवासी दलतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य दिनांक — **19.01.2021**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 447, 448, 454, 455 किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 456, 457 किता 2 कुल रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है उक्त भूमियों में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग कर रहा है। जो राजस्व रिकार्ड जामबन्दी से प्रमाणित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी वादी का नाम राजाराम पुत्र चौथुराम जाति बलाई के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम रूधाराम है। जो वादी के परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र भामाशाह कार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में वादी का नाम रूधाराम पुत्र चौथूराम ही दर्ज है जो सही है। वादी कई बार बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधित करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है सम्बन्धित समस्त दस्तावेज मुताबिक वादी के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से रूधाराम पुत्र चौथुराम के स्थान पर राजाराम पुत्र चौथूराम दर्ज हुये जो गलत है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम रूधाराम पुत्र चौथूराम है। तथा रूधा राम पुत्र चौथूराम व राजाराम पुत्र चौथूराम एक ही व्यक्ति है। जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 447, 448, 454,

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

455 किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 456, 457 किता 2 कुल रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम राजाराम पुत्र चौथूराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम रूधाराम पुत्र चौथूराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम राजाराम पुत्र चौथूराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम रूधाराम पुत्र चौथूराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2076–2079 के खाता सं. 106 व 23 पर राजाराम पुत्र चौथूराम जाति बलाई निवासी दलतपुरा दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड में राशन कार्ड बैंक खाता में रूधाराम पुत्र चौथूराम दर्ज है। मौके पर मौजिज व्यक्तियों से पूछने पर बताया गया कि राजाराम पुत्र चौथूराम व रूधाराम पुत्र चौथूराम एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर** 447, 448, 454, 455 किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 456, 457 किता 2 कुल रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी का नाम राजाराम पुत्र चौथूराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम राजाराम उर्फ रूधाराम पुत्र चौथूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

मअपस च्तवबमकनतम ब्वकमए ;ैमबजपवद श्व 1द

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रूधाराम बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 147 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 19.01.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम** मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 447, 448, 454, 455 किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 456, 457 किता 2 कुल रकबा 1.11 है0 वाके ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी का नाम राजाराम पुत्र चौथूराम के** नाम को **दुरूस्त कर उसके स्थान पर राजाराम उर्फ रूधाराम पुत्र चौथूराम** संशोधित **करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.01.2021 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ